# सेफगार्ड (SAFEguard) प्रतिभागी न्यूज़लेटर – दिसंबर 2022

दिसंबर **2022**

**विकलांगों आपके मित्र, परिवार, अधिवक्ता और समुदाय के लिए एक समाचार पत्र।**

यदि आप एक एनडीआईएस प्रदाता या कार्यकर्ता हैं जो विकलांग व्यक्ति का समर्थन करते हैं, या एक वकील, अभिभावक, मित्र या विकलांग व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं, तो कृपया इस न्यूजलेटर को अपने नेटवर्क में विकलांग लोगों के साथ साझा करें ।





**विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस**

**2022**

प्रत्येक दिसंबर, दुनिया भर में विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इस दिन विकलांग लोगों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है और जो उनके प्रति जागरूकता, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देता है।

इस वर्ष के समारोह का विषय है “समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान: एक सुलभ और न्यायसंगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका"।

एन डी आई एस आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि एन डी आई एस प्रतिभागियों को योग्य प्रदाताओं से सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण समर्थन और सेवाएं प्राप्त हों, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहते हों, और यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि प्रतिभागी कुछ गलत होने पर आत्मविश्वास के साथ बोल सकें।

विकलांग लोगों का योगदान और नेतृत्व इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।

उन सभी को धन्यवाद जो विकलांग लोगों के अधिकारों का समर्थन करने में योगदान देते हैं।

**एन डी आई एस आयुक्त(कमिश्नर)**

**का संदेश**

* **एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा कमिश्नर ट्रेसी मैके आपके अनुभवों को सुनने और यह समझने के लिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में एनडीआईएस प्रतिभागियों, उनके परिवारों और समर्थन नेटवर्क के साथ बैठकें करती रही हैं।**
* **हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक उपभोक्ता के रूप में आपकी आवाज सुनी जाए, और यह कि आपके पास उन सेवाओं, समर्थनों और प्रदाताओं को चयन करने का विकल्प हो, जो आपको अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की अनुमति देते हैं।**
* **अपडेट किए गए सेफगार्ड न्यूज़लेटर के इस संस्करण में, हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि हम आपको गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने और योग्यता प्राप्त कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता प्रदान करने के लिए क्या कर रहे हैं, और एक स्वतंत्र और सूचित उपभोक्ता बनने के लिए हम आपका समर्थन कैसे करते हैं।**
* **आप इस वीडियो की प्रतिलेख (ट्रांसक्रिप्ट) अपनी भाषा में देख सकते हैं** [the NDIS Commission website](https://www.ndiscommission.gov.au/resources/participant-resources/safeguard-newsletter)**.**
* **VIDEO:** [Watch the message from NDIS Commissioner Tracy Mackey on Vimeo](https://vimeo.com/759485843)

**जब आप इसे बताते हैं, तो आप इसे बेहतर**

 **बनाते हैं - ग्रेग की कहानी**

* **यदि आपको प्राप्त होने वाली सहायता की गुणवत्ता या सुरक्षा के बारे में कोई चिंता है, तो अपने प्रदाता या NDIS आयोग को बताना महत्वपूर्ण है - क्योंकि जब आप इसे बताते हैं, तो आप इसे बेहतर बनाते हैं।**
* **समाधान खोजने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी बात सुनना है।**
* **जब प्रतिभागी ग्रेग\* को समस्या थी, तो हमने उनकी बात सुनी और उनकी टीम के साथ उनके सहायता की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए काम किया।**
* ग्रेग\* 48 वर्ष के है और एक स्वतंत्र एन डी आई एस प्रतिभागी है जो मरूच्यडोर में अपने घर में रहते हैं। ग्रेग के प्रदाता, CL3 सर्विसेज\*, ने कई वर्षों तक दैनिक कार्यों में उनकी सहायता की है, जैसे गतिविधियों और नियुक्तियों में भाग लेना, और स्नान करना और कपड़े पहनना ।
* ग्रेग का अपनी सपोर्ट टीम के साथ अच्छा सामंजस्य है। उनकी सहायता से वे अपने परिवार से मिलने, लकड़ी के काम करने के अपने शौक को आगे बढ़ाने और स्थानीय मेन्स शेड में गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम हैं, जिससे उन्हें ख़ुशी मिलती है।
* हाल ही में, अपने सहायक कार्यकर्ता जो\* के साथ मेन्स शेड की यात्रा के दौरान, ग्रेग कार से अपने व्हीलचेयर पर स्थानांतरित होने के दौरान गिर गया। उनका हाथ काट गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें टांके लगे।
* ग्रेग की क्लिनिकल टीम में एक व्यावसायिक चिकित्सक, अब्दुल्ला \*, चोट के बारे में चिंतित थे, और चिंतित थे कि जो का व्हीलचेयर से ग्रेग की मदद करते हुए कार्यस्थल प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना दुर्घटना का कारण हो सकता है। उन्होंने अपनी चिंताओं को बताने के लिए एनडीआईएस आयोग से संपर्क किया।
* हमारी शिकायत टीम ने CL3 सर्विसेज, नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एजेंसी (NDIA) और ग्रेग के साथ काम किया ताकि यह समझ सकें कि क्या हुआ था असुर ग्रेग को प्रदान की गई सहायता और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध फंडिंग के विषय में जान सकें।
* हम ग्रेग का घर देखने गए और उनको मिलने वाली सहायता और चोट के दिन क्या हुआ, के बारे में उनसे बात की।
* कुल मिलाकर, ग्रेग प्रदान की गई CL3 सेवाओं के समर्थन से खुश थे। हालांकि, ग्रेग और उनके सहयोगी जो, दोनों ने समझा कि उन्हें सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह फिर से घायल न हो, कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। हमने इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए जो सहित CL3 सेवाओं और ग्रेग की सहायता टीम के साथ काम किया। इन परिवर्तनों में ग्रेग को अपनी व्हीलचेयर से कार तक ले जाने के लिए एक स्लाइडिंग बोर्ड का उपयोग करना शामिल था।
* जब हमने ग्रेग से बात की तो वह चिंतित थे कि शिकायत करने के कारण उनको जो और CL3 सर्विसेज के अन्य कर्मचारियों से मिलने वाला समर्थन प्रभावित होगा। लेकिन हमने ग्रेग को समझाया कि कोई भी व्यक्ति - जिनमें कोई भी प्रतिभागी, परिवार या देखभालकर्ता, सहायता कार्यकर्ता या प्रदाता शामिल है - चिंता व्यक्त कर सकते हैं और हम समर्थन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए प्रतिभागियों, प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं। हमने उन्हें एक प्रतिभागी के रूप में उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी, और उनको प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस जानकारी ने ग्रेग को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि एन डी आई एस फंडिंग ने उनके जीवन में नाटकीय रूप से सुधार किया है और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाया है।
* ग्रेग अपने सपोर्ट वर्कर जो के साथ मेन्स शेड जाना जारी रखते हैं, और उन्हें विश्वास है कि हमने CL3 सर्विसेज में जो बदलाव लाने में मदद की है, वे बदलाव उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।
* \*प्राइवेसी के लिए नाम और पहचान के विवरण बदले गए हैं।

|  |
| --- |
| विकलांग लोगों को प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में शिकायत करने का अधिकार है।अधिकांश NDIS प्रदाता विकलांग लोगों को गुणवत्तापूर्ण सहायता और सेवाएँ प्रदान करने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।शिकायत करना ठीक है - बोलने से आपको और अन्य लोगों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। यदि आप खुश नहीं हैं तो आपको NDIS समर्थन के बारे में चिंता व्यक्त करने का अधिकार है।स्थिति गंभीर होने तक प्रतीक्षा न करें - जितनी जल्दी आप कुछ कहते हैं, उतनी ही जल्दी इसे ठीक किया जा सकता है।हम आपके और अन्य प्रतिभागियों के लिए - समस्याओं को हल करने और एन डी आई एस समर्थन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए आपके साथ, और प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगे।शिकायत संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करके यहां शिकायत करें**हमें फोन करें: 1800 035 544 (लैंडलाइन से मुफ्त कॉल) या TTY 133 677। दुभाषियों की व्यवस्था की जा सकती है।****आप राष्ट्रीय रिले सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं और 1800 035 544 के लिए पूछ सकते हैं।** |
|  http://i8.cmail20.com/ei/t/FB/5C4/7F1/124840/csfinal/ProviderNewsletter-SectionBanners-8pxH-green-990a28051401453c.jpg |

**अपने अधिकारों पर ध्यान देने के लिए यह पॉडकास्ट सुनें**

NDIS आयोग ने अपने 'उचित और आवश्यक' पॉडकास्ट के नए एपिसोड देने के लिए विकलांगता अधिवक्ता डॉ जॉर्ज टेलेपोरोस के साथ भागीदारी की है।

हाल के एक एपिसोड में, डॉ जॉर्ज एन डी आई एस गुणवत्ता और सुरक्षा आयुक्त ट्रेसी मके के साथ प्रतिभागियों के अधिकारों, शिकायत प्रक्रिया, एन डी आई एस आयोग की भूमिका और विकलांगता क्षेत्र में मानकों को बढ़ाने की हमारी रणनीति के बारे में बात करते हैं।

ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की पी एच डी शोध छात्र मेगन टॉपिंग और एन डी आई एस प्रतिभागी और सॉर्ट योर सपोर्ट के निदेशक कार्ल थॉमसन ने एक विशेष एपिसोड में एन डी आई एस आयोग ने डॉ जॉर्ज के साथ 'अच्छी सहायता सेवा क्या है ?' विषय के ऊपर काम किया था।

आप 'उचित और आवश्यक' (Reasonable and Necessary) यूट्यूब चैनल पर सभी एपिसोड देख सकते हैं।

**सुरक्षित सहायता प्राप्त करने का आपका**

**अधिकार**

**• एन डी आई एस आचार संहिता के** [**NDIS Code of Conduct**](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-u/) **तहत यदि कोई प्रदाता या कर्मचारी आपको मिलने वाली देखभाल की गुणवत्ता या सुरक्षा के बारे में चिंतित है, तो उन्हें तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।**

**यदि आपके कर्मचारियों को कोई समस्या दिखाई देती है जो आपकी सुरक्षा या आपके समर्थन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, तो उन्हें इसे ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।**

**यह काम कुछ आसान काम भी हो सकता है जैसे टेबल को हटाना ताकि आप अपने व्हीलचेयर के साथ आगे बढ़ सकें। या यह अधिक जटिल भी हो सकता है - उदाहरण के लिए, यदि आप नीचे दिए गए वीडियो में फ्रांसेस्का की तरह अपने अन्य सहायता कर्मियों द्वारा व्हीलचेयर धकेलने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।**

**कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है, आपके सहायता कर्मियों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं। उन्हें पूछना चाहिए कि आप समस्या को कैसे हल करना चाहते हैं, या कौन सी बात आपको सुरक्षित महसूस कराएगी।**

**यदि वे तुरंत समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आपको उनके बारे में एन डी आई एस प्रदाता को बताना चाहिए। वे इसकी रिपोर्ट NDIS आयोग** [**NDIS Commission**](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-o/) **से भी कर सकते हैं ताकि हम इसकी जाँच कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि आपको सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सहायता मिल रही है।**

[Video: Make it known, make it better – NDIS Code of Conduct: Taking steps to raise and act on concerns around quality and safety supports (Auslan)](https://youtu.be/kmd6_7uVEGg)

**आप इस वीडियो को अपनी भाषा में देख सकते हैं** [the NDIS Commission website](https://www.ndiscommission.gov.au/resources/language-and-formats/your-language)**.**

**सूचित विकल्पों के लिए व्यवसायी और सेवा**

 **प्रदाता सूचियाँ**

एन डी आई एस प्रदाता या व्यवहार समर्थन प्रैक्टिशनर को खोजने में आपकी मदद करने के लिए जिसे एनडीआईएस आयुक्त द्वारा आपके लिए उपयुक्त माना गया हो, हमारी वेबसाइट में पंजीकृत प्रदाताओं और व्यवहार समर्थन चिकित्सकों की सूची है।

उपयुक्त व्यवहार समर्थन चिकित्सकों की सूची [suitable behaviour support practitioners](https://www.ndiscommission.gov.au/find-ndis-behaviour-support-practitioner) हर दिन अपडेट की जाती है, और आप नाम या पोस्टकोड द्वारा खोज सकते हैं।

यदि कोई प्रैक्टिशनर सूची में नहीं है, तो आप एन डी आई एस चिकित्सकों NDIS Practitioners को यह पूछने के लिए ईमेल कर सकते हैं कि क्या वे उपयुक्त हैं, या आप व्यवसायी से उनके उपयुक्तता परिणाम पत्र की एक प्रति प्रदान करने के लिए कह सकते हैं।

आप यह जांचने के लिए पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं [list of registered NDIS providers](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-n/) की सूची भी खोज सकते हैं कि क्या आपका चुना हुआ प्रदाता वर्तमान में पंजीकृत है या उनका पंजीकरण निलंबित या निरस्त कर दिया गया है।

आप NDIS आयोग के वेबपेज पर जाकर विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं [different types of provider](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-p/) को चुन सकते हैं।

**आपकी भाषा बोलने वाली अनुवाद सेवाएं**

प्रभावी संचार का समर्थन करने से विकलांग लोगों के चुनाव और नियंत्रण और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के अधिकारों का समर्थन होता है।

आपका NDIS प्रदाता आपको मिलने वाली सहायता सेवाओं के उपयोग में आपकी मदद करने के लिए दुभाषिया सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है।

वे आपकी सहायता करने के लिए आमने-सामने या फोन पर टीआईएस नेशनल के माध्यम से एन डी आई एस द्वारा वित्त पोषित दुभाषिया बुक कर सकते हैं।

आपके प्रदाता को आपकी भाषा बोलने वाले दुभाषिए से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें औसलान (Auslan) भी शामिल है।

एन डी आई एस प्रतिभागियों के साथ काम करने वाले सभी दुभाषियों के पास एक वैध एन डी आई एस वर्कर स्क्रीनिंग का प्रमाण होना चाहिए।

भाषा दुभाषिया सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, NDIS वेबसाइट पर जाएँ [NDIS website](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-q/).

**व्यवहार समर्थन के बारे में फैक्ट शीट**

एन डी आई एस आयोग ने व्यवहार समर्थन के बारे में पांच फैक्ट शीट बनाई हैं, जिसमें एक विशेषज्ञ व्यवहार समर्थन प्रदाता को कैसे चुनना है, और आपके अधिकारों और प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के बारे में जानकारी शामिल है।

उन्हें सरल अंग्रेजी का उपयोग करते हुए NDIS प्रतिभागियों के साथ और उनके लिए लिखा गया है।

आप निम्नलिखित लिंक पर फैक्टशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

• सकारात्मक व्यवहार समर्थन क्या है

• अपने अधिकारों को समझना

• एक विशेषज्ञ व्यवहार सहायता प्रदाता चुनना

• अपने विशेषज्ञ व्यवहार सहायता प्रदाता से क्या अपेक्षा करें

• अगर आप अपने विशेषज्ञ व्यवहार सहायता प्रदाता से खुश नहीं हैं तो क्या करें।

**COVID-19 आइसोलेशन अवधि और टीका**

**करण कार्यक्रम के अपडेट**

COVID-19 वैक्सीन अब छह महीने से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है।

बूस्टर खुराक उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने कम से कम तीन महीने पहले टीके का प्राथमिक कोर्स किया है, और टीके की चौथी खुराक की सिफारिश उन लोगों के लिए भी की जाती है जो:

• 50 वर्ष या उससे अधिक हैं

• वृद्ध देखभाल या विकलांगता देखभाल सुविधा में रहते हैं

• गंभीर रूप से प्रतिरक्षित [severely immunocompromised](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-a/) हैं (यह आपकी पांचवीं खुराक हो सकती है)

• या 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और उनकी ऐसी चिकित्सीय स्थिति (मेडिकल कंडीशन) या विकलांगता है जो COVID-19 के जोखिम को और बढ़ाती है।

यदि आप COVID-19 के टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, तो सामान्य लोगों के आइसोलेशन में रहने की कोई अवधि नहीं है, हालाकि घर में या विकलांगता सेटिंग में देखभाल करने वाले कर्मियों को पॉजिटिव आने पर अभी भी सात दिनों के लिए अलग करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए डिसेबिलिटी गेटवे वेबसाइट पर जाएं या 1800 643 787 पर फ़ोन करें।

**आयोग के भविष्य को आकार देने के लिए**

**सामरिक (Strategic) योजना**

एन डी आई एस आयोग ने हाल ही में हमारी सामरिक [(strategic)](https://www.ndiscommission.gov.au/about/corporate-documents/2022-2027-strategic-plan) योजना प्रकाशित की है जो अगले पांच वर्षों के लिए हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करती है और जो हम करते हैं उसके केंद्र में आपको और आपके अधिकारों को रखती है।

हम तीन प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि आप सूचित, संरक्षित उपभोक्ताओं के रूप में गुणवत्ता सेवाओं तक पहुंचने के अपने अधिकारों को बनाए रख सकते हैं। ये प्रभाव क्षेत्र हैं:

* विकलांग लोगों के अधिकार। हम विकलांग लोगों के अधिकारों के बारे में बात करना चाहते हैं, और इसके भाग के रूप में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों को जानते हैं।
* अच्छी गुणवत्ता वाले योग्य सेवा प्रदाता और कर्मचारी। हम चाहते हैं कि प्रत्येक प्रतिभागी सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं को ढूंढें और उनका उपयोग करें। और यह कि जब समर्थन और सेवाएं आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती हैं, या आपकी व्यक्तिगत अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा नहीं कर रही हैं, तो आप हमें बताने के लिए हम पर भरोसा कर सकते हैं।
* विविधतापूर्ण बाज़ार का समर्थन करना। इसका मतलब यह है कि प्रतिभागियों के पास सही, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले समर्थन और सेवाओं के विकल्प होते हैं।

= 2022-23 के लिए हमारी कॉर्पोरेट योजना [Corporate Plan for 2022-23](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-z/) अगले 12 महीनों के लिए हमारे उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें मौजूदा सिस्टम में सुधार के लिए एक नई शिकायत स्वीकार करने और ट्राइएज प्रक्रिया को लागू करने की योजना शामिल है।

हमने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जिसमें विवरण है कि हमने पिछले वर्ष के दौरान कैसा प्रदर्शन किया, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।

ये दस्तावेज़ समकालीन और उद्देश्य-आधारित नियामक बनने के हमारे उद्देश्य में एन डी आई एस आयोग का समर्थन और मार्गदर्शन करते हैं।

**वृद्ध देखभाल (एज केयर) सुधार और एक नई**

**आचार संहिता**

ऑस्ट्रेलिया की सरकार वृद्ध देखभाल प्रदाताओं से सहायता सेवा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ बदलाव कर रही है।

1 दिसंबर से, वृद्ध देखभाल के लिए एक नई आचार संहिता (संहिता) पेश की जाएगी, जो बताती है कि प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं को एन डी आई एस प्रतिभागियों सहित वृद्ध देखभाल सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए।

वर्तमान संहिता मौजूदा राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (NDIS) आचार संहिता पर आधारित है। दोनों कोडों में एक व्यक्ति के सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण समर्थन और सेवाएं प्राप्त करने, कार्यबल में विश्वास रखने, और महसूस करने और संरक्षित होने के अधिकार पर मज़बूती से ध्यान दिया गया है।

वृद्ध देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग (the ACQSC) के पास वृद्ध देखभाल क्षेत्र में व्यवहार से निपटने की शक्तियाँ होंगी जो अभी संहिता को पूरा नहीं करती हैं।

NDIS गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग (NDIS आयोग) NDIS समर्थनों और सेवाओं के लिए अपनी मौजूदा आचार संहिता को विनियमित और लागू करना जारी रखेगा।

यदि आप एक आवासीय वृद्ध देखभाल सुविधा में रहने वाले एक NDIS प्रतिभागी हैं, तो पंजीकरण के उद्देश्य से आपकी सुविधा को NDIS ऑडिट करने की आवश्यकता हो सकती है।

एन डी आई एस आयोग ने एन डी आई एस ऑडिट प्रक्रिया के बारे में एक ईज़ी रीड एन डी आई एस प्रतिभागी हैंडबुक [Easy Read NDIS Participant Handbook](https://ndiscommission.easyread.com.au/making-your-aged-care-home-better/) और ईज़ी रीड फैक्ट [Easy Read Fact sheet](https://ndiscommission.easyread.com.au/what-is-an-audit/) विकसित की है।

|  |  |
| --- | --- |
| **एन डी आई एस आयोग से कैसे संपर्क करें** |   |
| आप हमें **1800 035 544** पर फोन कर सकते हैं। यह लैंडलाइन से निःशुल्क कॉल है।हमारा संपर्क केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक (नॉर्दर्न टेरिटरी में सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे तक) खुला रहता है।वैकल्पिक रूप से, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contactcentre@ndiscommission.gov.au **शिकायत करने के तरीके**अगर आप हमसे शिकायत करना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे तरीके से कर सकते हैं:**1800 035 544** (लैंडलाइन से मुफ्त कॉल) या **TTY 133 677** पर फ़ोन करें। दुभाषियों की व्यवस्था की जा सकती है।राष्ट्रीय रिले सेवा [National Relay Service](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-e/) का उपयोग करें और **1800 035 544** के लिए पूछें।एक ऑनलाइन शिकायत संपर्क फ़ॉर्म [complaint contact form](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-s/) भरें। **पढ़ने के लिए धन्यवाद!****आप हमारी वेबसाइट पर NDIS आयोग के प्रतिभागी न्यूज़लेटर** [NDIS Commission participant newsletter](https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-g/)  **के पिछले अंक प्राप्त कर सकते हैं।**  |